

प्राचार्य,
समरत राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय: राजकीय महाविद्यालयों में एलिमेन्ट्री कम्प्यूटर शिक्षण के अनुबन्ध के कम में महाविद्यालयों हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में एलिमेन्ट्री कम्प्यूटर शिक्षण हेतु हुए अनुबन्ध (10 अगस्त, 09) के संदर्भ में निम्नलिखित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें:-

(ए) स्थापना से संबंधित

1. राजरथान के सामान्य शिक्षा के समस्त राजकीय महाविद्यालयों में एलिमेन्ट्री कम्प्यूटर शिक्षण के कम्प्यूटर लैब की स्थापना हेतु एजुकॉम्प सोल्यूशन लिमिटेड कम्पनी, नई दिल्ली के साथ अनुबन्ध किया गया है। आपके महाविद्यालय को अनुबन्ध की छाया प्रति प्रेषित की जा चुकी है। अनुबन्ध की शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें तथा इसकी अनुपालना सुनिश्चित करें।

2. अनुबन्ध की शर्त संख्या 13 के अनुसार एजेन्सी को कम्प्यूटर लैब स्थापना हेतु अनुबन्ध की अवधि तक निशुल्क कक्ष उपलब्ध करवाएं। कम्पनी एलिमेन्ट्री कम्प्यूटर प्रश्न पत्र स्नातक स्तर के जिस स्तर पर लागू हैं उसमें नियमित 1500 विद्यार्थी होने तक एक तथा 1500 से अधिक विद्यार्थी होने पर दो कम्प्यूटर लैब उपलब्ध करवायेंगी (बिन्दु 20ए)। कक्ष के खिलकी दरवाजे ठीक से बन्द होने की स्थिति में होने चाहिए ताकि उपकरण सुरक्षित रहें तथा इनके बन्द होने पर धूल से बचाव हो सके। कक्ष की छत व फर्श ठीक स्थिति में हों कक्ष का आकार इस प्रकार का हो कि आपके महाविद्यालय की एलिमेन्ट्री कम्प्यूटर लैब में जितने कम्प्यूटर व अन्य उपकरण स्थापित किये जाने हैं (अनुबन्ध के संलग्नक-1 के अनुसार) वे ठीक से स्थापित हो सकें व तदनुसार विद्यार्थियों व प्रशिक्षकों के बैठने व अध्ययन करने की सुविधा उपलब्ध हो।

3. अनुबन्ध की शर्त संख्या 15(iii, iv) तथा 16 के अनुसार उपकरणों के रख-रखाव व सुरक्षा का उत्तरदायित्व एजेन्सी का है।

4. प्रत्येक लैब/कक्ष में प्रशिक्षक हेतु एक टेबिल व दो कुर्सियां तथा प्रत्येक कम्प्यूटर हेतु एक टेबिल व दो कुर्सियां एजेन्सी द्वारा प्रदान की जानी हैं(बिन्दु सं. 20, बी-5 तथा 26)। कुर्सियों व टेबिल के सम्पूर्ण एजेन्सी द्वारा आयुक्तालय से अनुमोदित करवाये गये हैं, इनका अवलोकन किसी भी कार्य दिवस पर आयुक्तालय के भण्डार में किया किजा सकता है।

5. एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत तकनीकी विड का आंकलन कर शर्तों के अनुसार पाये गये उपकरणों के मेक व मॉडल अनुबन्ध की शर्त 22 में टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के अन्तर्गत दिये गए हैं। यदि आपके महाविद्यालय में इनके अतिरिक्त किसी अन्य मेक या मॉडल के उपकरण प्रदान किये जायें अथवा अनुबन्ध के बिन्दु संख्या 20, 21 व संलग्नक-1 में वर्णित मात्रा से कम हों तो इस तथ्य की सूचना तुरन्त एजेन्सी व आयुक्तालय को दें।

6. अनुबन्ध के बिन्दु संख्या 14 के अनुसार महाविद्यालय को कम्प्यूटर लैब तक बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। सबमीटर व अन्य बिजली की फिटिंग की व्यवस्था बिन्दु सं. 14 व 27 के अनुसार करवाने का उत्तरदायित्व एजेन्सी का है। अनुबन्ध की अवधि में विद्युत व्यय का वहन एजेन्सी द्वारा किया जाना है। यदि लैब में एजेन्सी सबमीटर नहीं लगाती है तो अनुबन्ध के बिन्दु संख्या 14(iii) के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

7. अनुबन्ध की शर्त संख्या 15 (i) व (xvi) (अपवाद 8 iii) के अनुसार सप्लाई आर्डर प्राप्त होने के 45 दिन की अवधि में एजेन्सी को मानदण्डानुसार संख्या व गुणवत्ता के उपकरण तथा प्रशिक्षक उपलब्ध करवाना है। एजेन्सी द्वारा सम्पूर्ण आधारभूत संरचना की स्थापना किस दिनांक को पूर्ण करवाई गई तथा सम्पूर्ण संख्या के प्रशिक्षक उपलब्ध करवाकर प्रशिक्षण कब से प्रारम्भ करवा दिया गया है, यह अभिलेख में लें। अनुबन्ध की शर्त संख्या 7(vi) के अनुसार एजेन्सी को भुगतान कम्प्यूटर प्रयोगशाला में मानदण्डानुसार उपकरणों की स्थापना व प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से किया जाना है।

8. स्नातक स्तर के जिस वर्ष के सेक्शन में एलिमेन्ट्री कम्प्यूटर विषय पढ़ाया जाना है उसके प्रायोगिक व सैद्धान्तिक कालांशों का टाईम टेबल(सम्बद्ध विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार) व विद्यार्थियों की सूची तैयार रखे व एजेन्सी को उल्लंघन करावायें।

(बी) मॉनिटरिंग व अन्य

9. अनुबन्ध के बिन्दु ए-८ के अनुसार एजेन्सी प्रत्येक वर्ष महाविद्यालय के 15 अधिकारियों/कर्मचारियों को निशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध करवायेगी। महाविद्यालय की आवश्यकता व वरीयता के अनुसार प्रतिवर्ष 15 कर्मचारियों/व्याख्याताओं/अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु नामित करें।
10. (ए) महाविद्यालय स्तर पर एलिमेन्ट्री कम्प्यूटर के संबंध में एक नोडल ऑफिसर व एक समिति गठित करें। इनका कार्य निम्नानुसार होगा:—
 - (i) कम्प्यूटर लैब की स्थापना के समय यह सुनिश्चित करना कि रथापित उपकरण अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार उचित मात्रा व स्पेसिफिकेशन्स के हैं (15(i), 1(xii))।
 - (ii) एजेन्सी के कार्य की प्रगति व परफोर्मेंस का वर्ष में दो बार आंकलन करना (शर्त सं. 1(vii) व 6(ii) के अनुसार)।
 - (iii) प्राचार्य द्वारा एलिमेन्ट्री कम्प्यूटर शिक्षा से संबंधित अन्य कार्य यथा—
 - (अ) एजेन्सी द्वारा शर्त संख्या 1(v) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्तावों की जांच करना।
 - (ब) भुगतान हेतु देय राशि व कटौतियों की जांच का निर्धारण (शर्त सं. 7(vi)(vii))।
 - (स) खराब हुए उपकरणों के स्थान पर बदले गये उपकरणों की जांच (शर्त सं. 15,xiii व xiv)
 - (द) अनुबन्ध की शर्त सं. 15 (xii) के अनुसार एजेन्सी के आवश्यक/सोफ्टवेयर आदि प्रदान करने में असफलता की रिस्ति में आवश्यकता की सूची से अवगत करवाना तथा आयुक्तालय से अनुमति प्राप्त होने पर की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही में महाविद्यालय को निर्देश/सहायता प्रदान करना आदि।
 - (बी) प्राचार्य व प्राचार्य द्वारा नामित नोडल ऑफिसर अनुबन्ध की शर्त सं. बी 3(iii) के क्रम में कम्प्यूटर हार्डवेयर की स्थापना व सेवाओं का निरीक्षण करने हेतु रवतन्त्र हैं। इन्हें खराब पड़े उपकरणों, मानदण्डानुसार न पाये गये उपकरणों, प्रशिक्षकों की अनुपरिस्थिति, सेवाओं में कमी, अनुबन्ध शर्तों की अवमानना आदि के विषय में आयुक्तालय को उचित माध्यम से सूचित करने का अधिकार है।
11. अनुबन्ध की शर्त सं. बी-२ के अनुसार एजेन्सी अपने दायित्वों व लाभों को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों/संस्था को रथानान्तरित या सबलेट नहीं कर सकती है। यदि एजेन्सी इस शर्त का निर्वहन न करे तो आयुक्तालय को सप्रमाण तुरन्त सूचित करें।
12. प्रत्येक महाविद्यालय में आवश्यक उपकरणों व प्रशिक्षकों की संख्या विद्यार्थियों के नामांकन के आधार पर निर्धारित की गई है। इराकी जानकारी अनुबन्ध की शर्त सं. 20, 21 व संलग्नक— में दी गई है। अनुबन्ध की अवधि में यदि विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ने पर स्थापना के समय या अधिक उपकरण/ प्रशिक्षक/ लैब की आवश्यकता हो तो इसकी सूचना एजेन्सी व आयुक्तालय को दें। अनुबन्ध की शर्त सं. ए-२, 11, 12(vii), 1(vii) के अनुसार एजेन्सी को तदनुसार अतिरिक्त उपकरण/प्रशिक्षक 45 दिन की अवधि में उपलब्ध करवाने होंगे।
13. एजेन्सी को सम्बद्धक विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार सभी कम्प्यूटरों पर आवश्यक साफ्टवेयर उपलब्ध करवाने होंगे (ए-२, ३, १०, बी 1(i), 15(i), (ii), 22 व 24)। अनुबन्ध की शर्त सं. बी 1(xiv), 20, 22, व 24 के अनुसार सभी साफ्टवेयर वैद्य(लीगल) होने चाहिए तथा प्रोपराइटरी साफ्टवेयर के संबंध में लाइसेन्स होना भी अनिवार्य है (बी 1(i), 15(i), 22 व 24)। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने पर यदि अतिरिक्त कम्प्यूटर आवश्यक हो तो इन सभी पर वैद्य साफ्टवेयर मय लाइसेन्स उपलब्ध करवाने का दायित्व भी एजेन्सी का है।

(सी) भुगतान व कटौतियां

14. एजेन्सी को भुगतान संबंधित वर्ष व तिमाही में नामांकित संबंधित कक्षा में नियमित विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर किया जाना है (शर्त सं. 17(xiii)) जिसकी अधिकतम दर प्रति अकादमिक रात्र प्रति विद्यार्थी 440/- रुपये है (शर्त सं. 7(i))। भुगतान अग्रिम नहीं किया जाना है (शर्त सं. 7(ii))। भुगतान से पूर्व की जाने वाली कटौतियां अनुबन्ध की शर्त सं. 7, 8, 9, 10, 11, 12(xiii), 14, 15(xii) के अनुसार की जानी हैं।

(डी) इंटरनेट, कन्ज्यूमेबल व स्टडी मेट्रिक्युल

15. प्रत्येक महाविद्यालय के एलिमेन्ट्री कम्प्यूटर लैब के सभी कम्प्यूटरों पर इंटरनेट की सुविधा एजेन्सी को अनुबन्ध की शर्त सं. 23 के अनुसार करवानी होगी।
16. एजेन्सी को पर्याप्त कन्ज्यूमेबल की व्यवस्था करनी होगी। अनुबन्ध की शर्त सं. 25 के अनुसार प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष 50 ए४/लीगल/15x12 कागज व तदनुसार कारटेज, टेप, टोनर, रिक्सन प्रोजेक्ट का अभिलेख व बैकअप रखने हेतु एक सीडीआरडब्ल्यू मय ज्वेल केस के उपलब्ध करवानी होगी।

17. अनुबन्ध की शर्त सं. 28 के अनुसार एजेन्सी प्रति विद्यार्थी को सम्बद्धक विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन सामग्री(पुस्तक) उपलब्ध करवायेगी।
18. अनुबन्ध की शर्त सं. 7 (v)(b) के अनुसार भुगतान से पूर्व सभी विद्यार्थियों को सीडीआरडब्ल्यू व अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो जाने संबंधित प्रमाण व प्रमाण पत्र देना होगा।

(ई) प्रशिक्षक संबंधित

19. प्रशिक्षण हेतु निर्धारित योग्यता अनुबन्ध की शर्त संख्या 12 में दी गई है। प्रशिक्षक अपनी योग्यताओं से संबंधित समस्त डिग्री/डिप्लोमा/अनुभव व अन्य प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिरिक्षण तथा अपनी बायोडेटा व एजेन्सी द्वारा सत्यापित अपना छायाचित्र महाविद्यालय को उपलब्ध करवायेंगे (वि. सं. 12(i))। प्रशिक्षक की योग्यता निर्धारित मानदण्डानुसार न पाये जाने पर तुरन्त एजेन्सी व आयुक्तालय को इसकी सूचना दें।
20. आपको यह विशिष्ट हिदायत दी जाती है कि प्रशिक्षकों की नियुक्ति या उससे अनुबन्ध महाविद्यालय या आयुक्तालय द्वारा नहीं किया जा रहा है अतः इन्हें अनुभव प्रमाण पत्र देने, ज्वार्डनिंग या रिलीविंग रिपोर्ट देने, अवकाश स्वीकृत या अर्चीकृत करने का साथित्व महाविद्यालय या महाविद्यालय विकास समिति का नहीं है (बिन्दु संख्या 12(x))। इन निर्देशों की अवहेलना करने की स्थिति में आप परिणामों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। ये समस्त कार्य एजुकाश्य सोल्यूशन्स लिमिटेड द्वारा किये जाने हैं। प्रशिक्षकों की उपरिथिति महाविद्यालय की उपरिथिति पंजिका में दर्ज नहीं करवाई जानी है। प्रशिक्षक महाविद्यालय में अनुबन्ध की शर्त संख्या 12(vi) के अनुसार 4 पंजिकाएं संधारित करेंगे जिनमें से एक उनकी उपरिथिति दर्ज करने हेतु होगी। ये पंजिकाएं एजेन्सी द्वारा प्रदत्त होंगी तथा प्राचार्य अनुबन्ध की शर्त सं. 12(vi) के अनुसार प्रतिकार्य दिवस को प्रशिक्षकों की उपरिथिति पंजिका पर हस्ताक्षर करेंगे। आयुक्तालय द्वारा अनुबन्ध एजुकाश्य सोल्यूशन्स लिमिटेड के साथ किया गया है अतः यदि आवश्यक हो तो किसी भी प्रकार का पत्राचार प्रशिक्षकों के साथ नहीं वरन् एजेन्सी के नाम ही किया जायें। प्रशिक्षकों की अनुपरिथिति की स्थिति में कम्पनी को किये जाने वाले भुगतान से अनुबन्ध की शर्त संख्या 9(सी) के अनुसार कटौती करें। प्राचार्य प्रशिक्षण की गुणवत्ता व नियमितता का लिखित/मौखिक/औपचारिक/अनौपचारिक फीड बैक प्राप्त करें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि प्रशिक्षक विद्यार्थियों को निजी ट्रॉफी करने हेतु बाध्य तो नहीं कर रहे हैं (बिन्दु सं. 12(iv)), परिसर में संतुलित आचरण रख रहे हैं तथा परिसर नियमों की पालना कर रहे हैं (बिन्दु सं. 12(xi))।
21. प्रत्येक महाविद्यालय में प्रशिक्षकों की संख्या अनुबन्ध शर्त संख्या 21 व अनुबन्ध के संलग्नक--1 के अनुसार होगी। महाविद्यालय में यदि किसी अकादमिक सत्र में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने के कारण शर्त संख्या 21 अनुसार पूर्व से अधिक प्रशिक्षकों की आवश्यकता हो तो एजेन्सी व आयुक्तालय को सूचित करें।
22. निम्नलिखित प्रपत्र में सूचना दिनांक 31.10.09 तक आवश्यक रूप से भिजवाये :-

सत्र 2009–2010 में महाविद्यालय में एलीमेन्ट्री कम्प्यूटर शिक्षण की सूचना

महाविद्यालय का नाम:

छात्र संख्या	एज्यूकेशन द्वारा लेब सेट (फर्नीचर) करने की दिनांक	अनुबन्धानुसार कम्प्यूटर सेट करने की दिनांक	अनुबन्धानुसार अनुदेशक उपलब्ध कराकर शिक्षण प्रारम्भ करने की दिनांक	विशेष विवरण
विज्ञान –				
वाणिज्य –				
कला –				
कुल –				

होप्राचार्य

भवदीय

आयुक्त,

कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर
दिनांक: 22 अक्टूबर, 2009

क्रमांक एफ 7(4)अकाद/आकाश/कम्प्यूटर/08/363

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, प्रशासन/योजना एवं समन्वय, कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

22.10.09
संयुक्त निदेशक